संख्या-02/2025/594के-2/22-3-2025-17(1068)/23

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चिन्ता उर्फ चिन्ताराम उर्फ चिन्ता प्रसाद उर्फ शिवशंकर पुत्र श्री सुग्गू उर्फ सुखदेव, निवासी जनपद-गोण्डा की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04-08-2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चिन्ता उर्फ चिन्ताराम उर्फ चिन्ता प्रसाद उर्फ शिवशंकर (बंदी संख्या-687/2022) पुत्र श्री सुग्गू उर्फ सुखदेव, जो ग्राम-अहिरन पुरवा, थाना-इटियाथोक, जनपद-गोण्डा का निवासी है। बंदी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 19-12-1982 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा, गड़सा व लाठी से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-174/1983 में भा0द0वि0 की धारा-324/34, 302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, गोण्डा के आदेश दिनांक 17-01-1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील को निर्णीत करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 13-05-2021 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी की 60 वर्ष की आयु, बंदी द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड के सापेक्ष 04 वर्ष, 10 माह, 22 दिन की भोगी गई सजा, बंदी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (02 व्यक्तियों की हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा उक्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चिन्ता उर्फ चिन्ताराम उर्फ चिन्ता प्रसाद उर्फ शिवशंकर (बंदी संख्या- 687/2022) पुत्र श्री सुग्गू उर्फ सुखदेव की भारत का संविधान के
अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या-594(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।